—: निर्णय :—

<u>आज दिनांक 13/08/2026 को घोषित</u>

1— अभियुक्त द्वारा अपराध की स्वेच्छया पूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा 34 (1) (क) म0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के अन्तर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है ।

2— अभियुक्त की अन्य कोई पूर्व दोषसिद्धी अभिलेख पर नहीं है, उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए तथा प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए उसे मात्र अर्थदंड से दंडित करना ही उचित प्रतीत होता है ।

3— अभियुक्त **जितेन्द्र पिता गोवर्धन बागरी, आयु— 28 वर्ष, निवासी— ग्राम तारोद, थाना खाचरोद, जिला उज्जैन (म.प्र.)** को धारा 34 (1) (क) म0प्र0 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कारित अपराध के लिये 1500/— रूपये के अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर उसे दो दिवस का कारावास भुगताया जावे ।

4— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति 17 क्वाटर देशी प्लेन शराब कीमत लगभग 1,275/—रूपये नष्ट की जावे/आबकारी विभाग को विधिवत् कार्यवाही हेतु लौटाई जावे।

13-8-26

सुश्री निर्मला पटेल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खाचरोद, जिला उज्जैन

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 286 OR 287 OF THE BHARATIYA NAGRIK SURAKSHA SANHITA 2023

In the Court of सुश्री निर्मला पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,

खाचरौद

जिला उज्जैन (म0प्र0)

Case No. **SUM 213 of 2026**

Name and address of the complainant म.प्र. शासन की ओर से थाना **खाचरोद**

Name, parentage,caste and address of accused

1– **जितेन्द्र पिता गोवर्धन बागरी, आयु– 28 वर्ष, निवासी– ग्राम तारोद, थाना खाचरोद, जिला उज्जैन (म.प्र.)**

The offence complained of, and date of, its alleged commission

आपने दिनांक 27.04.2026 को समय 22:15 बजे के लगभग आरक्षी केन्द्र खाचरोद आरोपी के घर के सामने, ग्राम तारोद खाचरोद के पास 17 क्वाटर देशी प्लेन शराब कीमत लगभग 1,275/–रूपये को बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखी और ऐसा कर आपने वह कृत्य किया जो **धारा 34 (1) (क) म0प्र0 आबकारी अधिनियम** के अंतर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है। क्या आप जुर्म स्वीकार करते हैं या विचारण चाहते है ?

The plea of the accused and his examination (if any)

नि. अ0350

आरोप स्वेच्छा स्वीकार है।

13-8-26

सुश्री निर्मला पटेल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खाचरोद, जिला उज्जैन (म.प्र.)